

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलवी/18/16498

जयपुर,दिनांक: 06/08/18

अधिसूचना

जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश सं. 4) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा, 10 अगस्त 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अध्यादेश के समस्त उपबंध प्रवृत्त होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलवी/18/16499-16533

दिनांक: 06/08/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान।
05. निजी सचिव, निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
06. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी. जयपुर।
07. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर, राजस्थान।
08. महापौर/मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगर निगम जयपुर, राजस्थान।
09. समस्त अधिकारी निदेशालय/उप निदेशक (क्षेत्रीय)स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
10. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन करने एवं बीस प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित है।
11. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को प्रचार हेतु।
12. प्रोग्रामर निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी